कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 2767611

पत्रांक– 2332/ **FP/UK/MIN/60921/2020** हरिद्वार देहरादूनःदिनांकः 06मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

विषयः–जनपद–ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग–2 से 150 हे0 वन भूमि में उप खनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी का पत्रांक–1196/12–1 दिनांक 19–02–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नानुसार सूचनायें संलग्न की जानी हैं :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र भाग–1 में प्रस्तावक विभाग का नाम/हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित नहीं है, कृपया सभी सूचनायें पूर्णतः भरी जायें।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग–2 के बिन्दुओं पर सूचना भरी जाय।
3. प्रस्ताव में वन संरक्षक की SIR संलग्न की जानी है।
4. डिजिटल मानचित्र की सी0डी0प्रेषित नही की गई है।
5. स्पष्ट करें कि क्या प्रस्तावित उप खनिज क्षेत्र शिवालिक रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित है अथवा नहीं ? शिवालिक रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।
6. प्रपत्र–20 में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
7. वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण/प्रपत्रों में सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाय।
8. प्रस्ताव में प्रस्तावित उप खनिज क्षेत्र की आई.आई.टी. रूडकी की अध्ययन रिर्पोट संलग्न की जानी है।
9. लागत लाभ विश्लेषण अपूर्ण है। कृपया पूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्रों में भरकर संलग्न करें।
10 प्रकरण में उप खनिज चुगान हेतु अनुमति दी जानी है, लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न करने का औचित्य स्पष्ट करें।
11 कोसी दाबका 500 हे0 उप खनिज चुगान प्रकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

भवदीय

6/3/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या–अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 2332/ **FP/UK/MIN/60921/2020** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

6/3/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या–अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।